न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0एम0पी0 वाद सं0–16/2011–12
52/2002

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी
बनाम
मेसर्स केवल मल

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	2	3

आदेश

यह वाद विज्ञ उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय से हस्तांतरित होकर सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा–मालपहाड़ी के जमाबन्दी सं0–51 के दाग सं0–445 एवं 446 अन्तर्गत रकवा 01–13–06 धुर भूमि का विपक्षी केवल मल हरिणडंगा बाजार, पाकुड़ के नाम से अंचल सिरिस्ता पाकुड़ के पंजी-II में कायम जमाबन्दी को रद्द करने एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक संबधी एक मामला विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0–18/1998–99 चला। उंक्त वाद में दिनांक 24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबन्दी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया। सुनवाई के क्रम में मूल विपक्षी की मृत्यु हो जाने के कारण सुमित साघवानी, पिता–स्व0 सुभाष चन्द्र साघवानी, सा0–सिंधीपाड़ा पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–445 एवं 446 विगत सर्वे खतियान में लखन हेम्ब्रम दिगर के नाम से दर्ज है। इस प्रकार यह एक रैयती भूमि है न कि सरकारी भूमि। रैयती भूमि का दाखिल–खारिज मूल विपक्षी केवल मल के नाम से अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–386/1972–73 में दिनांक 16.09.1972 को पारित आदेश द्वारा किया गया है। रैयती जमीन का भूलवश दाखिल–खारिज मूल विपक्षी के नाम से कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त दाखिल–खारिज

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

दिनांक 30.09.1973 तक ही मान्य था। उनके द्वारा मूल विपक्षी के नाम पंजी-II में कायम जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। खतियान की कम्प्यूटर जनित प्रति (Online प्रति) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि खतियान में लखन हेम्ब्रम एवं अन्य के नाम से दर्ज है। मौजा–मालपहाड़ी एक प्रधानी मौजा है एवं इस मौजा की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि उक्त भूमि का दाखिल–खारिज मूल विपक्षी के नाम से कर दिया गया। जो गैर आदिवासी हैं। दाखिल खारिज संबधी आदेश दिनांक 30.09.1973 तक के लिए लागू था। स्पष्टतः दाग सं0–445 एवं 446 की भूमि का गलत एवं नियम विरूद्ध तरीके से दाखिल खारिज किया गया जो कानून की नजर में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रश्नगत दाग सं0–445 एवं 446 का मूल विपक्षी केवल मल के नाम से पंजी-II में कायम जमाबन्दी को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी तदनुसार पंजी-II में आवश्यक संशोधन करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को भेजे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।
लेखापित एवं संशोधित।

29.3.2023
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

29.3.2023
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.06.12 12:21:51 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:3c3a:3b5:3557:ab64